

⇒ LEGISLATURE

कानूनों का भी जन्म होती है विधि निर्माण के अंतर्गत
एक्जिक्यूटिव विनन तीन काम करती है

- (1) विधायकों का प्रारम्भ रूप से करना
- (2) विधायकों पर विचार-विपरीत कानून
- (3) विधायकों को पारित करना।

अहाँ लजलीय शासन प्रणाली में,
कहाँ कानून निर्माण में एक्जिक्यूटिव ही कार्य करता
कार्यपालिका का प्रत्यक्ष हाथ रहता है। राष्ट्रपत्यायक
शासन प्रणाली में यद्यपि कार्यपालिका प्रत्यक्ष रूप से
विधि निर्माण में भाग नहीं लेती, फिर भी वह विधायी
प्रक्रिया को प्रभावित करती है।

(ii) कार्यपालिका पर नियंत्रण (Control over executive) -

एक्जिक्यूटिव का एक प्रमुख कार्य कार्यपालिका
पर नियंत्रण रखना है। एक्जिक्यूटिव के अंतर्गत अपनाई की
चुने हुए प्रतिनिधि रहते हैं और लोकतांत्रिक पद्धति में
कार्यपालिका पर एक्जिक्यूटिव का नियंत्रण आवश्यक है।
लजलीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका
विधानसभ के प्रति ज़म्बवती होती है। एक्जिक्यूटिव
अविश्वस्य का प्रस्ताव पास कर चुके आपदस्थ को
हल करती है और अइन प्रहक, 'कानून रोक प्रस्ताव'
पास कर तथा 'निद्रा का प्रस्ताव' पास कर कार्यपालिका
को निर्धारित कर खरती है।

(iii) विमर्शात्मक कार्य (Deliberative functions) -

विधि-निर्माण तथा कार्यपालिका के
नियंत्रण लंबंधी कार्यों के अतिरिक्त, एक्जिक्यूटिव विचार-
विपरीत का भी कार्य करती है। एक्जिक्यूटिव का प्रमुख कार्य
विचार-विपरीत तथा वाद-विवाद करना है। अंग्रेजी का
'Parliament' शब्द (एक्जिक्यूटिव का खंड) फ्रांसीसी शब्द
'Parlement' से बना है। अइक अर्थ वाद-विवाद
अर्थ विचार-विपरीत करने के लिए एक सभा ही है।
निःखंड, एक्जिक्यूटिव को हीमा कार्य
हमल है, अहाँ यज्ज की लपत्र नीतियों, लहनों,

B.A. II
PA-IV
DEPT OF
POL. S. 5
SR. RAHUL
SR. PASWAN

विधायक इत्यादि पर विचार - विमर्श एवं कार्य-विवाह होत्र
 को इसके द्वारा जन जनकी जननी कार्य पर विचार कर
 आवश्यक निर्णय विमर्श आदि को इन उपान्तों से अक्षर
 व्यवस्थापिका अपने देश के विभिन्न हिस्सों में उपलब्ध
 होने का प्रयास करती है। व्यवस्थापिका के अंतर्गत
 विभिन्न स्तरीय अर्थ-सहायकों एवं प्रयोग पर विचार -
 विमर्श होता रहता है।

⑩ आर्थिक कार्य (Financial functions) -

विधानसभ के कार्य केवल कानून बनाना तथा
 विचार-विमर्श करना ही नहीं, बल्कि राष्ट्र की आय
 व व्यय का भी निर्धारण रखना है। व्यवस्थापिका
 की स्वीकृति के बिना व्यय न तो किसी प्रकार का
 आय का लगा सकती है और न ही किसी प्रकार का
 व्यय - का ही लगा सकती है। व्यय के आय-व्यय
 का वार्षिक विवरण बजट के रूप में व्यवस्थापिका के
 सामुह्य पेश किया जाता है, अर्थात् व्यवस्थापिका
 ही राष्ट्र का बजट पारित करती है। व्यवस्थापिका
 राष्ट्रिय कार्य का निर्धारण करती है और इस प्रकार
 देश के प्रशासन में पक्षपूर्ण स्थान रखती है।

⑪ प्रशासनिक कार्य (Administrative functions) -

राष्ट्रसंघ के शासन प्रणाली का कार्य देश के
 प्रशासनिक कार्य के संचालन की अत्यंत महत्वपूर्ण
 पर होती है और व्यवस्थापिका इन कार्यों में प्रत्यक्ष
 रूप से भाग लेती है, परंतु संसदीय व्यवस्था में
 व्यवस्थापिका के कार्य व्यवस्थापिका का प्रत्यक्ष निर्धारण
 रखा है। संसदीय प्रणाली में मंत्रिमंडल व्यवस्थापिका
 के प्रति आदारी होता है और इसका अस्तित्व भी
 तब समाप्त रहता है, जब तक व्यवस्थापिका का
 विश्वास उस पर बिना रहता है। अर्थात्
 संसदीय प्रणाली की नियुक्तियों का आंतराष्ट्रीय संबंध

जीनट का अनुपादन आवश्यक है। प्रां. गं. की
का कहना है कि " उपव्यपिका का वास्तविक का
पह देखना है कि कार्यवाहिका अपना काम ही
देना ही करनी है या नहीं"।

(ii) निर्वाचन संबंधी कार्य (Election functions) -
विद्युत के खड्ड - जे. देवों में उपव्यपिका
निर्वाचन संबंधी कार्य का भी उत्पादन करनी है
इसका के विद्युत प्रपत्र में राजस्व का व्युत्पन्न
केन्द्र तथा राज्यों की उपव्यपिका - जमाओं द्वारा
शेरा है

(iii) संशोधन संबंधी कार्य (Amending functions) -
आने के देवों में संविधान के संशोधन
कार्य में उपव्यपिका का महत्वपूर्ण योगदान है
इसे संविधान में संशोधन प्रभावित करने तथा
पारित करने का अधिकार है इन्हें में संविधान
के आंतरिक खेद भी संशोधन संसद के अधिनियम
द्वारा जाया आ सकता है। अमेरिका संसदों का
भी संविधान में संशोधन प्रभावित करने का
अधिकार है।

(iv) केंद्रीय मामलों से संबंधित कार्य (Functions relating
to financial matters) - उपव्यपिका का विदेशों से
संबंध आने के कार्य करने पड़े है विदेशों के साथ
पारंपरिक संबंधों का निर्धारण, कुछ एवं इंपॉरि भी
घोषणा तथा विभिन्न संबंधों का उत्पादन पक्षि
कार्यवाहिका द्वारा शेरा है, तथापि अब तक उपव्यपिका
इन्हें अनुपादित नहीं करनी, अब तक इन्हें जागू
नहीं किया आ सकता।

DR. RAHUL KR PASWAN
DEPT OF POL. SCI